

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।
पत्रांक 1879 /14-1 मैनपुरी :दिनांक: दिसम्बर 23, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा ।

विषय:- जनपद-मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद - भोगाँव मार्ग (SH-84) की वॉयी पटरी किमी 0 51 से 52 के मध्य (चैनेज 51.950) ग्राम संसारपुर के गाटा सं01149/2 व 1150मि. पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, आगरा द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052278 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- आपका पं0 1874/14-1 दि0 06-12-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रस्ताव पर आपके द्वारा आपत्तियाँ लगाई गई थी, जिनका निराकरण कर विन्दुवार आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

S. No.	Comments	Reply
1	परियोजना में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की कोई भूमि सम्मिलित नहीं होने सम्बन्धी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया गया है ।, जो उचित नहीं है । अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।	दिये गये निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है ।
2	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया गया है । जो उचित नहीं है । अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।	दिये गये निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मनीष मित्तल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी